न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी /पी.डी.आर. सं. 2004/4733 जिला बीकानेर

बीछवाल गोपालक सहकारी समिति बीकानेर द्वारा गिरजाशंकर आशोपा व्यवस्थापक बीछवाल गोपालक सहकारी समिति निवासी नापासर जिला बीकानेर।

--प्रार्थी

बनाम्

राजस्थान राज्य द्वारा प्रभारी अधिकारी सहायता शाखा जिला कलक्टर, कार्यालय, बीकानेर।

--अप्रार्थी

एकलपीठ

श्री मोडूदान देथा सदस्य

उपस्थित :-

1. श्री मनिष पाण्डिया अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री लोकेन्द्र सिंह राणावत उप राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय दिनांक : 17.02.2020

हस्तगत निगरानी अन्तर्गत धारा 23(बी) दी राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट 1952 विरूद्ध निर्णय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर दिनांक 10.08.2004 जो अपील संख्या 18/2004 में पारित किया गया, के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य पत्रावली अनुसार इस प्रकार है कि प्रकरण संख्या 02/2002 स्टेट जरिये प्रभारी अधिकारी सहायता शाखा जिला कलक्टर बीकानेर के माध्यम से न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर में बीछवाल गो सेवा समिति लि. बीकानेर के विरूद्ध बीछवाल गोपाल सहकारी समिति लि0 द्वारा मानव भारती बीकानेर का पता अंकित कर इन आक्षेपों के साथ प्रस्तुत किया गया कि गांवो में चारे के डिपो खोलने एवं तत्सबंधी व्यवस्था हेतु

अप्रार्थी गोपालक सहकारी समिति बीकानेर के निवेदन पर जिलाधीश कार्यालय द्वारा स्वीकृति प्रदान करना बताया। उक्त समिति के परिप्रेक्ष में प्रार्थी पक्ष द्वारा परिवहन किए गए चारे के अनुदान भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत किए गए, जिनका तदर्थ भुगतान 5,80,657/– रूपये किया जाना बताया, तदुपरांत अन्तिम भुगतान से पूर्व प्रार्थी संस्था के विरूद्ध शिकायत होना बताते हुए उनके द्वारा संचालित केन्द्रो का मौका निरीक्षण करना बताया गया और गंभीर अनियमितता पाया जाना बताया गया एवं इसी आधार पर जो तदर्थ भुगतान 5,80,657/– रूपये का किया जाना था,उसकी वापिस वसूली करने का निर्णय लिया गया एंव इसी परिपेक्ष में जिला कलक्टर (विकास) एवं प्रभारी अधिकारी (सहायता) बीकानेर ने दा राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट 1952 जिसे तद्पश्चात अधिनियम 1962 सम्बोधित किया गया, के अन्तर्गत कार्यवाही संस्थित करते हुए धारा 3 के अन्तर्गत मांग पत्र प्रस्तुत करने एवं धारा 6 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी संस्था को सूचित किया गया, आगे तथ्यात्मक स्थिति का वर्णन करते हुए जिलाधीश द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित किया गया कि उक्त समिति की ओर से गोविन्द शर्मा के आवेदन पर सन् 1987–88 हेतु अनुदानित चारा डिपो खोलकर भिन्न–भिन्न गांवों में व्यवस्था हेतु स्वीकृति की गई तथा उक्त संस्था द्वारा माह अक्टूबर 1987 तक परिवहन किए गए चारे का अनुदान भुगतान हेतु 7,95,664/– रूपये के परिवहन व्यय के बिल प्रस्तुत किए गए किन्तु प्रस्तुत बिलो में दूरी अंकित नही होना एवं दूरी अंकित होने वाले मामलो में दूरी का सत्यापन नही होने के कारण भुगतान में विलम्ब हुआ, फलस्वरूप संस्थाओं को आर्थिक संकट से उबारने एवं चारे की निरन्तर आपूर्ति रखने के लिए (वर्तमान में प्रार्थी) संस्था को पुरानी अनुदान दर 30/– रूपये प्रति किलोमीटर की दर से गणना करके 80 प्रतिशत तदर्थ भुगतान का निर्णय लिया गया एवं स्वीकृति आदेश क्रमांक 21637–42 दिनांक 23.11.87 के द्वारा 5,80,657/– रूपये का भुगतान किया गया, तद्उपरांत इस संस्था की शिकायत सरपंच ग्राम पंचायत पलाना द्वारा किए जाने पर

सहायक कलक्टर (मु0) बीकानेर द्वारा जाचं करवाई गई एवं अन्ततोगत्वा जांच रिर्पोट प्रस्तुत होने पर चारा वितरण में अनियमितता पाये जाने पर उक्त 5,80,657/– रूपये की पुनः वसूली का निर्णय दिनांक 10.12.2002पारित किया गया।उक्त निर्णय के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर ने उक्त अपील का निर्णय अपने आदेश दिनांक 10.08.2004 को करते हुए अपील खारीज फरमा दी, राजस्व अपील प्राधिकारी जी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.08.2004 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। तथा आदेश 41 नियम 27 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

उभयपक्ष के विद्वान वकुलाय की बहस सुनी।

प्रार्थी के अभिभाषक ने तर्क प्रस्तुत किया कि गोविंद शर्मा मंत्री नहीं है। संस्था अवसायन में होने से अवसायक नियुक्त है तथा मंत्री आसोपा है। इन सब तथ्यों का कोई विवेचन कर न्याय निर्णय ध्यान आकृष्ट करने के उपरांत भी नहीं दिया। चारा परिवहन की जो राशि राज्य सरकार द्वारा देय थी, उसमें से अब तक 5,80,657/– रूपये ही भुगतान किये गये शेष राशि आज तक बकाया निकल रही है, जिसका समायोजन भी नही किया गया तथा जो वसूली बाबत कार्यवाही की जा रही है, उक्त राशि किस तिथि की बकाया वसूली है, यह भी स्पष्ट नही है तथा वसूली का प्रकरण अवधि पार हो चुका है, इसी प्रकरण में जिला कलेक्टर के न्यायालय में प्रकरण के लम्बित रहते प्रार्थी द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीकानेर के न्यायालय में प्रकरण के लम्बित होने का कथन कर उक्त न्यायालय के निर्णय तक कार्यवाही स्थगित रखे जाने की प्रार्थना की थी, जिसे जिला कलेक्टर ने अस्वीकार करते हुए अन्तिम निर्णय पारित कर दिया, जबकि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 बीकानेर द्वारा दिनांक 30.8.2005 को निर्णय पारित करते हुए आरोप से दोष मुक्त किया था तथा जो निष्कर्ष प्रदान किया गया है उससे स्पष्ट है कि वास्तव में संस्था द्वारा जो सहायता राशि राज्य सरकार द्वारा दी गई, इस बाबत

जानबूझ कर कोई गलत तथ्य प्रकट नही किया, निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि निगरानी में पूर्व में प्रस्तुत की गई, इसकी तरफ ध्यान आकृष्ट किया, तथा वसूली बाबत प्रकरण बनना नही पाया जाता है, न ही जिला कलक्टर द्वारा इतनी लम्बी अवधि पश्चात वसूली की कार्यवाही की जा सकती है, तथा प्रस्तुत प्रकरण में स्पष्ट रूप से किस–किस मद में किस कारण से राशि वसूली योग्य है इसका भी कोई कारण स्पष्ट नही है, ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर एवं राजस्व अपील अधिकारी जी ने जो निर्णय पारित किये है, वह निरस्त किये जाने योग्य है तथा अधिनस्थ न्यायालयों ने यह भी स्पष्ट नही किया कि 1952 के अधिनियम के अनुसूचि में किस मद में यह राशि वसूली योग्य है। हमारी राशि बकाया है वह हमें चुकाई जावे हमारी बकाया को बकाया रखकर उस पर ध्यान आकृष्ट करने पर कोई विवेचन नहीं कर एकतरफा वसूली कर रहे है। हम सद्भाविक है हमने चैक द्वारा राशि अंडर प्रोटेस्ट जमा करा दी है। हम प्रारंभ से ही सद्भाविक होकर नियमानुसार कार्य कर रहे है। हमारी बकाया जो इसी कार्यवाही की है वह चुकाई जावे। माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषमुक्त किया है हमारे द्वारा राजकोष को हानि पहुंचाने का कोई साक्ष्य नहीं है अपितु हमारा भुगतान बकाया है। यह सब तथ्य सम्यक व सही तामील व उत्तरदायी लेखे से जुड़े हुए होने से विवेचन योग्य है। ऐसी स्थिति में निगरानी स्वीकार की जावे। तथा आदेश 41 नियम 27 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। तथा निगरानी स्वीकार की जावे।

अप्रार्थी की ओर से उपराजकीय अभिभाषक ने प्रार्थी के कथनों का विरोध किया तथा राजस्थान पब्लिक डिमांड रिकवरी एकट के तहत राशि वसूल किये जाने योग्य है, इसबाबत पूर्णतया विधिक प्रंक्रिया अपनाई जाकर विधिवत निगराकार को नोटिस दिये जाने के उपरांत सुनवाई की जाकर जिला कलक्टर द्वारा आदेश पारित किया गया तथा निगराकार द्वारा प्रस्तुत की गई अपील भी राजस्व अपील अधिकारी जी द्वारा समस्त बिन्दुओं पर विचार कर अपील खारीज की गई है आदेश 41 नियम 27 का प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। पूर्व में राशि का चैक जमा कराकर इन्होंने वसूली का

सही होना स्वीकार कर लिया है। ऐसी स्थिति में वर्तमान निगरानी खारीज किये जाने योग्य है।

हमने दोनों पक्षों द्वारा की गई बहस पर मनन किया, आदेश 41 नियम 27 के प्रार्थना पत्र के सशपथ होने तथा इसका सशपथ खण्डन प्रस्तुत नहीं होने एवं इस कार्य करण के फौजदारी प्रकरण पर न्याय निर्णय की प्रमाणित प्रति होने से इसे अभिलेख पर लिया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी ने यह तर्क लिया है कि श्री गोविंद शर्मा मंत्री नहीं है मंत्री आसोपा है तथा संस्था अवसायन में होकर अवसायक नियुक्त है इन तथ्यों पर ध्यान आकृष्ट करने के उपरांत भी इनके प्रभाव का विवेचन नहीं किया है। यह भी कथन लिया है कि राशि चैक के द्वारा जमा करा दी है तथा इसी कार्य करण की हमारी बकाया न तो समायोजित की और न ही भुगतान किया इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट करने पर इस पर विवेचन कर निष्कर्ष नहीं दिया है। यह दोनों तथ्य सम्यक तामील व सही व उत्तरदायी लेखे से जुड़े हुए होने से विवेचन योग्य बनते हैं। जिला कलक्टर द्वारा की गई कार्यवाही तथा पत्रावली से यह स्पष्ट नही है कि वसूल की जाने वाली राशि किस–किस मद में किस तिथि की वसूली योग्य राशि है, इसके अलावा समस्त प्रकरण का आधार 29.12.87 को शिकायत के उपरांत की गई जांच रिपोर्ट को बनाया गया है, तथा इसी बिन्दु पर सबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में सुनवाई की जाकर प्रकरण का निर्णय किया गया है तथा निर्णय दिनांक 30.8.2005 में न्यायालय द्वारा सबंधित व्यक्तियों को पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने से दोषमुक्त किया है। जबकि वसूली की कार्यवाही भी इसी आधार पर आरम्भ की गई थी, इस प्रकार प्रकरण के समग्र रूप से समस्त तथ्यों एवं परिस्थिति को देखते हुए निर्णय दिनांक 30.8.2005 के आलोक में प्रकरण की पुनः सुनवाई की जाकर जिला कलक्टर द्वारा निर्णय किया जाना उचित प्रतित होता है, परिणामतः राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.8.2004 तथा जिला कलक्टर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.12.2002 को निरस्त किया जाकर

निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण जिला कलेक्टर बीकानेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उपरोक्त विवेचन के क्रम में तथा मान्नीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 2 बीकानेर के प्रकरण संख्या 353/94 निणर्य दिनांक 30.8.2005 के आलोक में प्रकरण का पुनः सुनवाई करते हुए दोनो पक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण का पुनः निर्णय करे।

उभयपक्ष दिनांक 20.04.20 को जिला कलक्टर बीकानेर के यहां पेश हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडू दान देथा)

सदस्य